न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 08/2019

सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी,

बनाम

रामकुंवार जाट पुत्र श्री मांगूराम जाट, मैसर्स रामकुंवार जाट मावा वाला, ग्राम समरपुरा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर निवासी–गोलाडा की ढाणी, चीथवाडी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) एवं 51 खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011)

उपस्थितिः–

1. श्री सुशिल कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रार्थी स्वयं उपस्थित ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 26.02.2020**

प्रार्थी सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 30.10.2018 को मैसर्स रामकुंवार जाट मावा वाला ग्राम समरपुरा तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के विक्रेता अप्रार्थी रामकुंवार जाट की उपस्थिति में दुकान में निरीक्षण करने पर मावा लोहे के 10 डिब्बों में लगभग 300 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से 1 किलोग्राम मावा हिला–मिला कर वास्ते नमूना जांच संख्या ई–3607 के लिये क्रय किया गया। क्रय की गई मावा की कीमत अंके रूपये 220/– (अक्षरे रूपये दो सौ बीस मात्र) मौके पर उपस्थित विक्रेता श्री रामकुंवार जाट को देकर केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये मावा की जांच कराये जाने पर सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः नियमानुसार निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थी को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए भविष्य में तयमानक अनुरूप ही मावा तैयार करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षों को सुना गया। प्रार्थी सुशील कुमार चौटवानी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/अधिसूचना/2011/440 दिनांक 26.07.2011 जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, के द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है तथा आदेश क्रमांक एच/पीएफए /नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा जयपुर प्रथम कार्यक्षेत्र आंवटित किया गया है। प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं

Scanned with CamScanner

आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 30.10.2018 को अप्रार्थी के विक्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले विक्रेता रामकुंवार जाट को साथ लेकर दुकान का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर दुकान में लोहे के 10 डिब्बो में लगभग 300 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखा हुआ पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम मावा की कीमत अंके रूपये 220/–(अक्षरे रूपये दो सौ बीस मात्र) विक्रेता श्री रामकुंवार जाट को देकर क्रय किया गया और क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा की कीमत अंके रूपये 220/–(अक्षरे रूपये दो सौ बीस मात्र) का केश मीमो–रसीद विक्रेता श्री रामकुंवार जाट से गवाहान के सामने प्राप्त की मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–3607 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अप्रार्थी को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अप्रार्थी रामकुंवार जाट के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर विक्रेता रामकुंवार जाट के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अप्रार्थी एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। प्रार्थी ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./1931/एक्ट./2018/621 दिनांक 26.12.2018 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–3607 को सब–स्टेण्डर्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अप्रार्थी रामकुंवार जाट (विक्रेता) मैसर्स रामकुंवार जाट मावा वाला ग्राम समरपुरा तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि निरीक्षण दिनांक 30.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण मावे के सेम्पल लिया गया था जो मावा सब–स्टैण्र्ड था अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अपना अपराध स्वीकार किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/अधिसूचना/2011/440 दि0 26.07.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र प्रार्थी को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए /नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2018 को नमूने के लिऐ क्रय किये 1 किलोग्राम मावा के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 30.10.2018 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं विक्रेता रामकुंवार जाट के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता रामकुंवार जाट के है ।

Scanned with CamScanner

6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता रामकुंवार जाट के हस्ताक्षर है ।

7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब–स्टेण्डर्ड होना अंकित है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। अभियुक्त द्वारा ही न्यायालय में उपस्थित होकर मावा अमानक होना स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रारूप बी अप्रार्थी को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अप्रार्थी ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 26.12.2018 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अप्रार्थी के कृत्य के लिये राशि रूपये 20,000 (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 26.02.2020 को सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर

Scanned with CamScanner